



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012020-215170  
CG-DL-W-06012020-215170

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 50] नई दिल्ली, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2019, शनिवार/अग्रहायण 24—अग्रहायण 30, 1941  
No. 50] NEW DELHI, DECEMBER 15—DECEMBER 21, 2019, SATURDAY/AGRAHAYANA 24—AGRAHAYANA 30, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि.363.**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद), भर्ती नियम, 1963, को जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ फोटोग्राफर, फोटोग्राफर और अंध कक्ष सहायक, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में फोटोग्राफर (श्रेणी II और श्रेणी III) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, फोटोग्राफर (श्रेणी II और श्रेणी III), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं, आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	सीधे भर्ती होने वाले के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फोटोग्राफर श्रेणी II	4* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	₹ 29200-92300/- के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के माध्यम से नियुक्ति किए जाने वाले के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अहर्ताएं	क्या सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा अहर्ताएं प्रोन्नति पाने वालों के मामलों में भी लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<b>प्रोन्नति.</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में ऐसे फोटोग्राफर	<b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:-</b>	लागू नहीं होता

<p>श्रेणी III जिन्होंने नियुक्ति के बाद उस स्तर में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1.-</b> पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही रहेगी।</p> <p><b>टिप्पण 2.-</b> जहां ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में प्रोन्नति हेतु उनके कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, सहित परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>(क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - अध्यक्ष;</p> <p>(ख) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य;</p> <p>(ग) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य</p>	
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<p>2. फोटोग्राफर श्रेणी III</p>	<p>13* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धित।</p>	<p>₹ 25500-81100/- के वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4.</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेश या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p><b>टिप्पण.-</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई अंतिम तारीख)। केंद्रीय चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती के मामले में, आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-विज्ञापित होगी।</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p><b>आवश्यक :-</b></p> <p>(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड या शिक्षा संस्थान से मैट्रिकुलेशन (10 वीं कक्षा) उत्तीर्ण ; और</p> <p>(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / शिक्षा संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा।</p> <p>टिप्पण.- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण.-</b> जिन मामलों में पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य किन्हीं परिस्थितियों के कारण, एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण, हुई रिक्तियों के केंद्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेंगी :-</p> <p>(क) नियमित आधार पर सादृश्य पदों को धारित किए हों, और</p> <p>(ख) स्तम्भ (7) के अधीन, सीधे भर्ती होने वालों के लिए विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।</p>

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p><b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) होंगे:-</b></p> <p>(क) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- अध्यक्ष;</p> <p>(ख) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य;</p> <p>(ग) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य</p>	लागू नहीं होता

[फा.सं. 01/03/2019-सीएसजेड]

मंजू पान्डे, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

New Delhi, the 20th December, 2019

**G.S.R. 363.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Central Service Class-III posts) Recruitment Rules, 1963, in so far as it relates to the posts of Senior Photographer, Photographer and Dark Room Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photographer (Grade II and Grade III) in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Photographer (Grade II and Grade III), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc .**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, –

  - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Photographer Grade II	4 (2019)* *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the Pay Matrix of Rs. 29200-92300/-	Non-Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Photographer Grade III in the Level-4 in the Pay Matrix with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.</p> <p><b>Note 1.-</b> The eligibility service shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.</p> <p><b>Note 2.-</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</b></p> <p>1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata - Chairman;</p> <p>2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member;</p> <p>3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member.</p>	Not applicable.

requisite qualifying /eligibility service by more than half of such qualifying /eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification /eligibility service.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Photographer Grade III.	13 (2019)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 in the Pay Matrix of Rs. 25500-81100/-	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with instruction or orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note .-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case of recruitment through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be advertized by Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential:</b> (i) Passed Matriculation (10 <sup>th</sup> Standard) from a recognized Board or Institution; and (ii) Diploma in Photography from a recognized University/Institute. Note .- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission /Competent authority in case of candidate otherwise well qualified.	Not applicable	2 years	By direct recruitment. <b>Note .-</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of 1 year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government:- (a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or deferment; and (b) Possessing the qualification and experience prescribed for direct recruit under Column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata - Chairman;</li> <li>2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member;</li> <li>3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata - Member.</li> </ol>	Not applicable.

[F. No. 01/03/2019-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

### विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019

**सा.का.नि.364.**—विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 22-28 सितम्बर, 2019 की साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित सा.का.नि.सं.319 दिनांक 23.9.2019 वाली अधिसूचना में राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची के अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित सुधार किया जाएगा:

उपर्युक्त भर्ती नियम (अंग्रेजी पाठ) के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 12 में उल्लिखित मौजूदा प्रविष्टि में शब्द डिरेक्टर, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग **ऑरगेनाइजेशन-चेयरमेन** को डिरेक्टर, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग **ऑरगेनाइजेशन-चेयरमेन** पढ़ा जाए।

[फा. सं. एसएम/01/15/2018]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th November, 2019

**G.S.R.364.**—In Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Notification bearing GSR No. 319 dated 23.9.2019 published in the Gazette of India, weekly publication dated 22-28 September, 2019, the following correction shall be carried out in the English version of the Schedule annexed to the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2019:-

In the existing entry appearing against Col. 12 of the Schedule annexed to the aforementioned recruitment rules (English version) the words, Director, National Atlas Thematic Mapping **Organisatio - Chairman** may be read as, Director, National Atlas Thematic Mapping **Organisation - Chairman**.

[F. No. SM/01/15/2018]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

### वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

**सा.का.नि.365.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (श्रेणी-II, अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1959, जहां तक कि वे अधीक्षक के पद से सम्बंधित है, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी चीजों या करने से छूट गयी चीजों के सिवाय,

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अधीक्षक तथा सहायक के पद के भर्ती नियम को अधिनियमित करते हुये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः:-

**1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**— (1) इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय का कार्यालय, अधीक्षक (वर्ग -'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय पद) एवं सहायक (वर्ग -'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2019 कहा जायें।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनसे सम्बद्ध स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता इत्यादि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे सम्बंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

**4. निरर्हता .**— वह व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के वाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अधीक्षक	4* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर - 7 (रु.44900 - 1,42,400)	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा



पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/संभरण द्वारा भर्ती के मामले में वेतनमान जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/संभरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना किया है।	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
<p><b>पदोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स रू.35,400-1,12,400 के स्तर - 6 में सहायक के वेतनमान में 5 (पाँच) वर्षों की नियमित सेवा। टिप्पणी : जब अर्हता सेवा अथवा योग्यता सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो तो उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता या योग्यता सेवा अर्हता या योग्यता सेवा के आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो तथा अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक अपने कनिष्ठों के साथ पूर्ण कर लिया हो जिन्होंने ऐसी अर्हता/या योग्यता सेवा पहले ही पूर्ण कर लिया है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के अधिकारी (अ) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर - 6 (रू.35,400-1,12,400) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत उस पर 5 वर्षों की सेवा। (ब) स्थापना, लेखा एवं प्रशासन का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी 1-</b> फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी 2-</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 3-</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p><b>वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु)।</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय - सदस्य</li> <li>3. उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय - सदस्य</li> </ol>	<p>सं.लो.से. आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक	6* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर - 6 (रु.35,400 - 1,12,400)	चयन	लागू नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष (पदोन्नतों हेतु)	पदोन्नति जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>पदोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स (रु.25,500-81,000) के स्तर - 4 में उ.श्रे.लि. के वेतनमान में 10 (दस) वर्षों की नियमित सेवा। <b>टिप्पणी :</b> जब अर्हता सेवा अथवा योग्यता सेवा पूर्ण करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा हो तो उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता या योग्यता सेवा अर्हता या योग्यता सेवा के आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो तथा अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नति हेतु परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक अपने कनिष्ठों के साथ पूर्ण कर लिया हो जिन्होंने ऐसी अर्हता/या योग्यता सेवा पहले ही पूर्ण कर लिया है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b> केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के अधिकारी (अ) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर - 4 (रु.25,500-81,000) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत उस पर 10 वर्षों की सेवा। (ब) स्थापना, लेखा एवं प्रशासन का ज्ञान। <b>टिप्पणी 1-</b> फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	<p><b>वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु)।</b> 1. महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी अध्यक्ष - 2. निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय -सदस्य</p> <p><b>वर्ग 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु)।</b> 1. महानिदेशक वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी - अध्यक्ष 2. निदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय - सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय -सदस्य</p>	<p>सं.लो.से. आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।</p>

<p><b>टिप्पणी 2-</b> प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 3-</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[मि. सं. 5(1)/2012-ई.- I]

विपद भंजन पाल, उप महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)

New Delhi, the 9th December, 2019

**G.S.R. 365.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (Class II Non- Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1959, in so far as they relate to the post of Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Superintendent and Assistant in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Superintendent (Group 'B', Gazetted, Ministerial post) and Assistant (Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial post) Recruitment Rules, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;  
or  
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Superintendent	4 *(2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B' Gazetted, Ministerial	Level-7 (Rs. 44,900-1, 42, 400/-)	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Assistant in Level – 6 in the pay matrix Rs. 35,400 – 1, 12, 400/- with five years regular service in the grade. <b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probationary period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of Central or State Government or Union Territory, (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level – 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1, 12, 400/-) or equivalent in parent cadre or department.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General of Commercial Intelligence and Statistics - Chairman</li> <li>2. Director, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics – Member</li> <li>3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics - Member.</li> </ol>	<p>Consultation with UPSC not necessary</p>

<p>(b) possessing at least two years experience of establishment, accounts and administration matters.</p> <p><b>Note 1-</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.</p> <p><b>Note 2-</b> Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3-</b> The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant	6 *(2019) *Subject to variation on dependent workload	General Central Service Group 'B', Non- Gazetted, Ministerial	Level-6 (Rs. 35,400- 1, 12, 400/-)	Selection	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two Years (for promotees)	By promotion failing which by Deputation

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Upper Division Clerk in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500 – 81,100/-) with ten years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probationary period for promotion to the next higher grade along with their Juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.</p>	<p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General of Commercial Intelligence and Statistics - Chairman</li> <li>2. Director, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics - Member</li> <li>3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics - Member</li> </ol> <p><b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General of Commercial Intelligence and Statistics - Chairman.</li> <li>2. Director, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics - Member</li> <li>3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics - Member</li> </ol>	<p>Consultation with UPSC not necessary.</p>

<p><b>Deputation:</b> Officers of Central or State Government or Union Territory, (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level – 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100/-) or equivalent in parent cadre or department. (b) possessing knowledge of administration, establishment and accounts matters.</p> <p><b>Note 1-</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.</p> <p><b>Note 2-</b> Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the central government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3-</b> The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F.No. 5(1)/2012- Estt.-I]  
BIPAD BHANJAN PAL, Dy. Director General & H.O.D.